

# दुर्गा पुजा / मुहर्रम - 2017

17 दफ्तर सं०

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

मोहरवरवाड सरकार  
बनाम

MI-87/2017 आदेश पत्रक

राजा अंसारी को

23/9/17

अभिलेख संख्या :- एम. 87 / 2017, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 27/17

3/6  
23/9/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 26/9/17 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

(2)

7/2/18 वाणिज्य संपादन / पुनः वि. 9/1/18 में रखें

9/1/18 वाणिज्य संपादन / पुनः वि. 19/1/18 में रखें

19/1/18 तमिला अप्राप्त । पुनः वि. 6/2/18 को रखें।

6/5/18 वाणिज्य संपादन / पुनः वि. 10/2/18 में रखें,

10/2/18 दुर्गा पुजा / मुहूरत 2017 ब्राह्मि पूर्ण हंग से सम्पन्न हुआ । वि. 10/2/18 को राष्ट्रीय लोक अदालत सूची में इस काद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

*[Signature]*  
10-2-18

10/02/2018  
Adv.

*[Signature]*  
10-2-18

